41वां पूर्ण राज्यत्व दिवस

सम्पन्नता की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश

हम हर वर्ष 25 जनवरी को अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस वर्ष यह दिन हमारे लिए विशेष महत्व का है। आज हम पूर्ण राज्यत्व के चार दशक पूरे कर पांचवें दशक में प्रवेश कर रहे है। इसी दिन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तथा यह भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना था। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह प्रदेश के लोगों के कठिन परिश्रम, ईमानदारी और लगन का परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक जाना जाता है।

25 जनवरी, 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर हिमाचल प्रदेश ने विकास की शुरूआत की और आज यह न केवल पहाड़ी राज्यों, बल्कि बड़े राज्यों के लिए भी विकास का अग्रदूत माना जाने लगा है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर कुछ ऐसे प्रमुख मानक है, जो उस प्रदेश में हुए विकास को दर्शाते हैं। इनपर जब हम नजर डालते हैं तो पाते है कि गत 40 वर्षो मे यहां उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 651 रुपये थी, जो वर्ष 2010 में बढ़कर 49,211 रुपये हो गई। यह अन्य कई राज्यों से कहीं बेहतर है। प्रति व्यक्ति आय में हिमाचल प्रदेश देश में सातवें स्थान पर है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद भी वर्ष 1971 के 223 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2010 में 42,278 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। राज्य की वार्षिक योजना जो 1971 में मात्र 17 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2010 में बढ़कर 3000 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1971 में प्रदेश की साक्षरता दर 23 प्रतिशत थी जो 2010 में बढ़कर 84 प्रतिशत हो गई है और शीघ्र ही हम साक्षरता में केरल को पीछे छोड़ने वाले है। आज हिमाचल प्रदेश देश का सेब राज्य की ख्याति प्राप्त कर शीघ्र ही भारत का फल राज्य बनने की ओर अग्रसर है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश आज देश का 'ऊर्जा राज्य' और 'कार्बन न्यूट्रल' राज्य बनने की दहलीज पर भी खड़ा है।

पूर्ण राज्यत्व के इस ऐतिहासिक दिन हम प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डा. यशवन्त सिंह परमार जिन्होंने पूर्ण राज्यत्व प्राप्ति के लिए प्रदेशवासियों का नेतृत्व कर एक संघर्ष किया और शैशवावस्था में प्रदेश के विकास की ठोस नींव रखी, को याद किए बिना नहीं रह सकते। उसके उपरांत, सभी ने जिनको प्रदेश के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला, इसमें अपना योगदान किया। परन्तु इसमें सर्वोपरि योगदान है प्रदेश के ईमानदार एवं मेहनतकश लोगों का जिन्होंने अथक परिश्रम से इस मिथक को नकार दिया कि 'गरीबी पहाड़ों की नियति' है।

आपके आशीर्वाद से मुझे भी आठ वर्ष प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। पहली बार 1998 से 2003 तक व उसके बाद 30 दिसम्बर, 2007 से। इस अवधि में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समग्र एवं तीव्र विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ समाज के सभी वर्गो, विशेषकर कमजोर एवं निर्धन वर्गों का कल्याण सुनिश्चित बनाकर विकास को एक नई दिशा दी है। हमारा यह प्रयास रहा है कि सरकार की नीतियों एवं कायक्रमों का लाभ आम आदमी को सबसे पहले मिले।

प्रदेश की चार दशकों की यात्रा महत्वपूर्ण रही है और 40वें मील पत्थर में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। इनमें प्रमुख हैं गत वर्ष यानी 2010 में इण्डिया टुडे पत्रिका द्वारा करवाए गए 'स्टेट ऑफ स्टेट्स' सर्वेक्षण में प्रदेश को बेहतर ओवर ऑल परफोरमेंस के लिए 'बैस्ट बिग स्टेट' का अवार्ड प्रदान किया जाना है। प्रदेश को इस सर्वेक्षण में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, निवेश, मैक्रो इकोनॉमी, उपभोक्ता बाजार एवं आधारभूत ढांचे में सर्वश्रेष्ठ पाया गया है।

राष्ट्रीय पत्रिका एग्रीकल्चर टुडे द्वारा एक अन्य सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को कृषि विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतिगत पहल तथा बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य आंका गया है और इसे 'राज्य कृषि लीडरशिप आवार्ड-2010' प्रदान किया गया है। 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में योजना आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान पर पाया गया है, जो प्रदेश सरकार की कमजोर व निर्धन वर्गों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान तथा निचले स्तर पर विकास के प्रति वचनबद्धता दर्शाता है। वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, बी.पी.एल. परिवारों का सबसे अधिक पंजीकरण करने के लिए भी, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। सी.एन.बी.सी. आवाज इलैक्ट्रानिक चैनल द्वारा करवाए गए एक अन्य सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को 'बैस्ट ट्रैवल डैस्टिनेशन' आंका गया है। यही नहीं, आऊटलुक पत्रिका व इलैक्ट्रॉनिक चैनल आई.बी.एन-7 द्वारा करवाए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में भी प्रदेश को महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में बेहतर प्रदर्शन के लिए 'डायमण्ड स्टेट' अवार्ड दिया गया है।

हम आज एक ऐतिहासिक पड़ाव पर है जब प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा के 40 वर्ष पूरे किए हैं। मनुष्य में नित नए क्षितिज हासिल करने की क्षमता होती है। हमें आत्मविश्वास से आगे बढ़कर, कुछ नई चाह के साथ, नई ऊंचाइयों को हासिल करना है।

हमारी सरकार सब बातों से ऊपर उठकर सभी क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित कर रही है। हमने कांगड़ा जिला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फैशन प्राद्योगिकी संस्थान तथा फूड क्राफ्ट इन्स्ट्यूमेंट स्थापित किए है। मण्डी जिला में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई,आई.टी.) तथा ई.एस.आई. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हमीरपुर जिला में तकनीकी विश्वविद्यालय, सोलन जिला में अटल स्वास्थ्य कुंज और एवं जैवविज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान खोले है। तीन नए मेडिकल कालेज व अस्पताल ऊना, हमीरपुर व सिरमौर जिला में खोले जाने प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत तीन पुलिस बटालियनों में से एक सिरमौर जिला, एक ऊना, एक बिलासपुर में स्थापित की गई है। शिमला जिला के प्रगतिनगर में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी

प्रो. प्रेम कुमार धूमल, माननीय मुख्यमंत्री का पूर्ण राज्यत्व दिवस पर आलेख

कालेज तथा बिलासपुर जिला में हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज खोले जा रहे हैं।

समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सही परिप्रेक्ष्य मे कार्यान्वित किया जा रहा है। हमने सामाजिक सुरक्षा पैंशन में 65 प्रतिशत व दैनिक भोगियों की दिहाड़ी में 60 प्रतिशत वृद्धि की है।

महिला सशक्तिकरण पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उनका कल्याण सुनिश्चित बनाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए है। वर्ष 2008 में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला हिमाचल प्रदेश देश के कुछेक प्रथम राज्यों में एक था। महिला कर्मियों को रक्षा बन्धन, करवा चौथ व भैया दूज पर विशेष अवकाश प्रदान किया गया है। महिलाओं को रक्षा बन्धन व भैया दूज पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। 'मातृ शक्ति बीमा योजना' के अन्तर्गत देय राशि को चार गुणा बढ़ाया गया है। गरीब परिवार की महिला या उसके पति की मृत्यु की अवस्था में एक लाख रुपये व घायल होने पर 50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की लड़की के विवाह के लिए वित्तीय सहायता को 5 हजार से 11 हजार रुपये किया गया है। 'मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना' के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को दोगुना किया गया है। एक नई योजना 'बेटी है अनमोल' आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों की दो कन्याओं तक जन्म के समय ही 5100 रुपये की राशि उनके नाम डाकघर में जमा करवाई जा रही है जिसे वह 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर ब्याज सहित निकाल सकती हैं। विधवा पुनर्विवाह के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि को दोगुना कर 25 हजार से 50 हजार रुपये किया गया है। एक नई योजना 'मातृ सेवा योजना' आरम्भ की गई है जिसके तहत प्रदेश के 100 चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क प्रसव सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए 'जीवन श्री बीमा योजना' आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रुपये, सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रुपये और बीमारी से मौत होने पर 20 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है।

हमने समाज के सबसे कमजोर व निर्धन वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। गरीबों की आवासीय समस्या के हल के लिए राज्य में 'अटल आवास योजना' व 'इन्दिरा आवास योजना' कार्यान्वित की गई है जिनके तहत वित्तीय सहायता राशि को 27,500 से बढ़ाकर 48,500 रुपये किया गया है। गत तीन वर्षों में इन योजनाओं पर 99 करोड़ रुपये व्यय कर 22719 घरों का निर्माण किया गया है।

गरीब लोगों को अपना उपचार करवाने में कठिनाई न हो इसके लिए प्रदेश में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य के 2,98,291 बी.पी.एल. परिवारों में से 90 प्रतिशत इस योजना के अधीन

''प्रदेश की चार दशकों की यात्रा महत्वपूर्ण रही है और 40वें मील पत्थर में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की।...हम आज एक ऐतिहासिक पड़ाव पर हैं जब प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा के 40 वर्ष पूरे किए हैं। मनुष्य में नित नए क्षितिज हासिल करने की क्षमता होती है। हमें आत्मविश्वास से आगे बढ़कर, कुछ नई चाह के साथ, नई ऊंचाइयों को हासिल करना है।''

पंजीकृत किए जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र को 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। गम्भीर बीमारी की अवस्था में यह राशि बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये की गई है। इसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है।

अनुसूचित वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत आबंटित की जा रही कुल वार्षिक योजना राशि को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा को 2.50 लाख से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गो की तरह छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है। प्रदेश के विकास और सरकार के कार्यक्रमों व नीतियों के कार्यान्वयन में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत उनके साथ सदैव सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम रखे गए है। गत तीन वर्षों में उन्हें अनेक वित्तीय तथा अन्य लाभ दिए गए हैं। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 3.50 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है। पूरी पैंशन का लाभ पाने के लिए पात्रता 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष की गई है। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में पारिवारिक पैंशन के लिए समयावधि को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष किया गया है। न्यूनतम पारिवारिक पैंशन को भी 1310 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है।

किसानों व फल उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की गई हैं। कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए राज्य की कुल योजना का 12 प्रतिशत कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए आबंटित किया गया है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को योजना आयोग ने भी सराहा है। जनवरी, 2009 से प्रदेश में 353 करोड़ रुपये की पंडित दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत 15 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में 16,500 पॉलीहाऊस का निर्माण किया जाएगा तथा 17,312 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत लाया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत पॉलीहाऊस निर्माण पर तथा सूक्ष्म सिंचाई के लिए 80 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। बी.पी.एल. परिवारों को बांस के पॉलीहाऊस बनाने के लिए 90 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 5928 पॉलीहाऊसों का निर्माण किया गया है व 7.09 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। इससे प्रदेश के 45 हजार लोगों को स्वरोजगार सुनिश्चित होगा। जैविक खेती व जल संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए 350 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की गई है। यह योजना जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग संगठन (जाईका) के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

हमारी सरकार ने छोटे व सीमांत किसानों द्वारा वर्ष 1950 से 1960 के बीच लिए गए भूमि विकास व तकावी ऋणों को माफ किया है जिससे प्रदेश के 43,485 किसान लाभान्वित हुए हैं।

शिमला जिला के पराला में 100 करोड़ की लागत से बनने वाली 'आधुनिक विपणन मण्डी' का कार्य आरंभ कर दिया गया है। प्रदेश में पांच आज आधुनिक विपणन मण्डियां भी स्थापित की जा रही हैं।

कृषि उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई सुविधा की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत अधिकाधिक क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के प्रयास किए जा रहे है। प्रदेश में 2.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हमने आगामी पांच वर्षों में सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र को दोगुना करने की योजना बनाई है। गत तीन वर्षों में 16,322 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा तथा 2832 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ नियंत्रण के अधीन लाया गया है। राज्य के फल उत्पादकों को लाभान्वित करने तथा बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 85 करोड़ रुपये लागत की सेब पुनर्रोपण योजना आरम्भ की गई है जिसके तहत पुराने सेब के पौधों के स्थान पर नए एवं गुणवत्तायुक्त पौधे लगाएं जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में 12,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब के नए पौधे लगाए जाएंगे। शिमला जिला के खड़ापत्थर में पायलट आधार पर एन्टी हेलगन एवं राडार स्थापित किए गए हैं। बागबानों को उचित मूल्य सुनिश्चित बनाने के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना कार्यान्वित की जा रही है। सेब व आम को पहली बार मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल को होने वाले नुक्सान के कारण किसानों को आर्थिक कठिनाई न हो। एच.पी.एम.सी. द्वारा सेब का कन्संट्रेट बेचने के लिए पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार के साथ समझौता किया गया है।

राज्य में 300 करोड़ रुपये की 'दूध गंगा योजना' कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत 10 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 50 हजार परिवार लाभान्वित किए जाएंगे। प्रत्येक लाभार्थी को दुधारू पशु खरीदने व दूध से संबंधित गतिविधियां आरम्भ करने के लिए 15 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 33 प्रतिशत उपदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पशु चिकित्सा सुविधा से वंचित पंचायतों में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 'मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना' आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों में प्रदेश की 1272 पंचायतों में पशु चिकित्सा संस्थान खोले जाएंगे। इनमें से 187 संस्थान खोले दिए गए हैं। कांगड़ा, मण्डी व चम्बा जिला के भेड़ पालकों को लाभान्वित करने के लिए 'भेड़ पालक समृद्धि' योजना आरम्भ की गई है। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को भेड़ व मेंढे खरीदने के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है, जिस पर 33 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण प्रदेश सरकार की तीन प्रमुख प्राथमिकताएं है। हम हिमाचल प्रदेश को देश का शिक्षा हब बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान खोले जा रहे है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक तकनीकी विश्वविद्यालय व निजी क्षेत्र में 10 विश्वविद्यालय खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आई.आई.टी. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), एक ईंजीनियरिंग कॉलेज, एक ई.एस.आई., मेडिकल कालेज एवं अस्पताल भी स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान एक डिग्री कालेज, 43 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 58 उच्च विद्यालय, 62 माध्यमिक विद्यालय व 33 प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लु, मण्डी, सोलन, नाहन के डिग्री कालेजों को स्तरोन्नत कर मॉडल कालेज बनाया गया है। गत तीन वर्षों में सिरमौर की विभिन्न श्रेणियों के 12 हजार पद भरे गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गत तीन वर्षों में 600 एलोपैथिक चिकित्सक, 703 स्टाफ नर्स और बड़ी संख्या में पैरा मेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति कर उन्हें दूर-दराज क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। गत वर्ष 15 अगस्त से बी.पी.एल. परिवारों के लिए राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ओ.पी.डी. में 38 दवाइयां नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं। गत वर्ष से 100 स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क प्रसव सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। गत 25 दिसम्बर से अटल स्वास्थ्य सेवा' आरम्भ की गई है जिसके तहत मरीजों को नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा रही है। प्रथम चरण में यह योजना सात जिलों में आरम्भ की गई है तथा शीघ्र ही अन्य पांच जिलों में भी इसे आरम्भ कर दिया जाएगा। हाल ही में डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में 150 करोड़ रुपये के सुपररूपेशियल्टी अस्पताल का कार्य आरम्भ किया गया है। दो नए स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। सभी विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच के लिए 'मुख्यमंत्री स्कूल हैल्थ प्रोग्राम' व 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क डैंचर उपलब्ध करवाने के लिए 'मुस्कान' कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

राज्य सरकार ने वर्ष 2012 तक 250 व उससे अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। गत तीन वर्षों में राज्य में 2700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 4231 किलोमीटर में कॉस ड्रेनेज बनाई गई व 2324 किलोमीटर सड़के पक्की की गई हैं। इस दौरान 858 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। गत तीन वर्षों में दो राष्ट्रीय उच्च मार्ग नगरोटा- रानीताल-देहरा-मुबारकपुर (90 किलोमीटर) और पावंटा-राजबन-शिलाई- मीनस-हाटकोटी (160.5 किलोमीटर) पर कार्य आरंभ किया गया है जबकि पांच अन्य राष्ट्रीय उच्च मार्गों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

पर्यावरण संरक्षण में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रदेश देश के उन कुछ राज्यों में से एक है जहां पुन:चक्रित पॉलीथीन व प्लास्टिक के थैलों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। राज्य के विभिन्न भागों में समय-समय पर 'पॉलीथीन हटाओ-पर्यावरण बचाओ' अभियान कार्यान्वित किए गए जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 9-सूत्री 'पर्यावरण संरक्षण कोड' आरम्भ किया गया है। सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के समय विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण संरक्षण शपथ को अनिवार्य बनाया गया है। पौधरोपण व वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार पेयजल सुविधा से वंचित सभी बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना पर कार्य कर रही है। वर्ष 2003 में करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में 53,205 बस्तियां हैं जिनमें से मार्च, 2007 तक 28,640 बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान सरकार ने अब तक 14,462 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाया है। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 6885 हैंडपम्प स्थापित किए गए हैं। बिजली की सुविधा से अब तक वंचित उप-गांवों को बिजली पहुंचाने व कम वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए 341.86 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है, जिसके तहत 34036 खम्भे व 551 नए विद्युत उप-केन्द्र (शेष पृष्ठ 8 पर)

उर्मिला सिंह
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

सत्यमेव जयते

पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सन्देश

हिमाचल प्रदेश आज पूर्ण राज्यत्व के 41वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूर्ण राज्यत्व प्राप्ति के चार दशकों में, हमारे इस सुन्दर एवं शांत पहाड़ी प्रदेश ने, देश के शीर्ष राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, मैक्रो इकोनॉमी, पूंजीनिवेश, गवर्नेंस, पर्यटन विकास आदि क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। देश के 'सेब राज्य' के रूप में ख्याति अर्जित करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश, देश का 'फल राज्य', 'विद्युत राज्य' तथा 'कार्बन न्यूट्रल राज्य' बनने की ओर अग्रसर है।

राज्य में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित विकास हो रहा है, जिससे हमारा पर्वतीय राज्य स्वाभिमान के साथ स्वावलम्बन के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। प्रदेश के अद्भुत विकास में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और प्रदेशवासियों की मेहनत का विशेष योगदान रहा है। प्रदेशवासियों ने न केवल शांति, सद्भाव और कर्मठता की उच्च परम्परा को कायम रखा है, अपितु राष्ट्र के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने में भी वे पीछे नहीं रहे हैं, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेशवासी भविष्य में भी इसी प्रकार राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करते रहेंगे। पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों का आह्वान करती हूँ कि वे प्रदेश के विकास में अपना रचनात्मक योगदान देकर इसका नाम हमेशा ऊंचा रखें।

पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मेरी सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

(उर्मिला सिंह)